

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/277

श्रीमती मन्नी पत्नी श्री नन्दराम जाति मीना निवासी ग्राम गुढागोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

1. प्रभू लाल सैन आत्मज श्री औंकार लाल जाति नाई निवासी अरनेठा तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
2. राधाकिशन आत्मज श्री औंकार लाल जाति नाई निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
3. रामरतन आत्मज श्री औंकार लाल जाति नाई निवासी ग्राम गुढागोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. मोती आत्मज श्री औंकार लाल जाति नाई निवासी अरनेठा तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
5. उप पंजीयक एवं तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोडन्ट



उपस्थित :- 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 01.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी कुल किता 09 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्तीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 के व्यथित होकर प्रतिवादी कम 5 श्रीमती मन्नी अपीलान्ती ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ती स्वीकार करने का निवेदन किया ।
5. अपील अपीलान्ती दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्ती के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति वाले प्रकरणों को ही निर्णित किया जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ती स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।
7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ती खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 बहाल रखा जावे ।
8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ती आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
10. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा